<u>सामान्य सेवा विभाग</u>

हमारा संदर्भ: GSD / 11/03/2015 06 अप्रैल 2017

विषय: ई-वेस्ट वस्तुओं के निपटान के लिए कोटेशन

महोदय,

भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दर्शाई गई शर्तों एवं निबंधनो पर अनुलग्नक -I में सूचीबद्ध वस्तुओं ई-वेस्ट प्रबंधन एवं निस्तारण नियम 2011 के अनुसार घोषित ई-वेस्ट का निपटान करने का इच्छुक है, आपसे अनुरोध किया जाता है कि अनुलग्नक -1 की सभी वस्तुओं के लिए दरें प्रस्तुत करें तथापि आंशिक कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित नियम व शर्तों को पूरा नहीं करने वाली कोटेशन को रदद कर दिया जाएगा।

1. बोलीदाता राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं निस्तारण) नियम, 2011 के तहत किसी अन्य राज्य द्वारा ई-वेस्ट के निस्तारण/संग्रहण/भंडारण/परिवहनीय/विनष्टीकरण/रिसाइकिलिंग उपचार एवं निपटान के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

2. पुरानी वस्तुओं हेतु कोटेशन लिखे मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन को 02 मई 2017 तक 1500 बजे तक प्रमुख (GSD) तक पहुंच जाना चाहिए यह उसी दिन 1530 बजे खोली जाएगी। निविदाकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित हो सकता है।

3. 10,000.00 रुपये की नकद धरोहर राशि या भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट को कोटेशन के साथ संलग्न किया जाए। उक्त राशि कोटेशन की अस्वीकृति की स्थिति में लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि जमा न करने वाले निविदाकर्ता की कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि चेक स्वीकार नहीं किया जाएगे । धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि को सुरक्षा के रूप में ब्यूरो द्वारा रखा जाएगा और पूरा भुगतान में समायोजित किया जाएगा। अन्य पक्षों के मामले में निविदा को अंतिम रूप देने के बाद वापस किया जाएगा।

5. अनुलग्नक में प्रस्तावित वस्तुएं 20 अप्रैल 2017 से 25 अप्रैल 2017 तक ब्यूरो परिसर में निरीक्षण किया जा सकता है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के निस्तारण स्टोर में रखा है।

6. सफलतम निविदाकर्ता को अग्रिमत: पूर्ण भुगतान करके कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस को 07 दिनों के भीतर माल की डिलीवरी लेनी पडेगी ऐसा करने से चूकने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।

7 हमारे स्टोर से आइटम हटाने की प्रक्रिया में निविदाकार्ता की ओर से या उनके प्रतिनिधियों की वजह से लापरवाही के कारण ब्यूरो की किसी भी संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा और नुकसान की रकम निविदाकर्ता से वसूली जाएगी ।

8. ई-वेस्ट प्रबंधन एवं निस्तारण नियम 2011 के अनुक्रम में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रीसाइक्लिंग / पुनर्प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए " जहां है जैसा है के आधार पर" निविदाकर्ता को सारी सामग्री का निपटान करना पडेगा या हटाना होगा ।

9. यदि कोई स्‍िथति पैदा हो जाती है तो बीआईएस के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार ब्यूरो के पास सुरक्षित है।

10 प्रेषण के बाद कोटेशन में देरी, क्षति एवं गैर-प्राप्ति के लिए ब्यूरो की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

11. किसी भी विवाद के मामले में ब्यूरो के महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

प्रमुख (GSD)

अनुलग्नक:यथोक्त

<u>अनुलग्नक- I</u>

प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, कॉपियर मशीन, प्रोजेक्टर, वोलटेज स्टेपलाईजर, यू पी एस, कंप्यूटर, सर्वर, इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन के निपटान की दरें

क्रम सं	**विवरण**	**मात्रा**	**लॉट हेतु पार्टी द्वारा उद्धृत दरें (रुपयों में)**
1	प्रिंटर	28	
2	स्कैनर	02	
3	फैक्स मशीन	05	
4	फोटोकॉपी मशीन (जेरोक्स/शार्प मेक)	09	
5	वोलटेज स्टेपलाईजर	21	
6	यू पी एस	95	
7	कंप्यूटर	18	
8	सर्वर	03	
9	इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर	02	
10	लैपटॉप	14	
11	मोबाइल फोन	40	
		कुल योग -	

नोट :- उच्चतम दर उद्धृत फर्म को मद सीरियल न. 1 से 11 तक उद्धृत कुल अधिकतम राशि के आधार पर तय किया जाएगा ।

हस्ताक्षर ________________________

नाम पता________________________

____

____

टेलीफ़ोन नंबर-----------------------------

दिनांक:------------------

GENERAL SERVICES DEPARTMENT

Our Ref: GSD/11/03/2017 **06.04.2017**
Subject: Quotation for Disposal of e-waste items

Dear Sir(s),

Bureau of Indian Standards intends to dispose-off the items {declared e-waste as per e-waste (management & handling) Rule, 2011} listed in the Annexure-I, on the terms and conditions mentioned below. You are requested to submit rates for the lot i.e. for all items of Annexure-I. However, partial quotation would not be accepted. Quotation not meeting the following terms & Conditions would be rejected.

1. Quotation in a sealed cover superscripted ñQuotation for obsolete itemsò should reach Head (GSD) latest by 1500 hours on **2nd May 2017.** The same shall be opened at 1530 hrs on the same day. Tenderer or his authorized representative may be present at the time of opening of the quotation.

2. Earnest money of **Rs. 10,000.00** in cash or through Demand Draft in favour of **Bureau of Indian Standards, New Delhi,** should be enclosed with the Quotation. The said amount shall be refunded in the event of non-acceptance of the quotation. The quotation of such tenderer who do not deposit the Earnest Money shall be rejected. However CHEQUES SHALL NOT BE ACCEPTED. No interest shall be payable on Earnest Money.

3. The Earnest Money deposited by successful tenderer shall be retained by the Bureau as security and would be adjusted against the full payment. For other parties, it shall be refunded after finalization of the tender.

4. The items offered in Annexure may be inspected at the Bureau premises on from **20th April 2017 to 25th April 2017** which are kept at Disposal Store of Bureau of Indian Standards.

5. The successful tenderer shall have to take delivery of material within **07 days** on any working day during office hours against full payment in advance failing which, the earnest money deposited will be forfeited.

6. In the process of removing the items from our store, the tenderer will be responsible for loss of any property of the Bureau due to negligence on his part or on the part of his representatives and the amount of loss shall be recovered from the tenderer.

7. The tenderer will have to dispose off or remove the entire lot of material ñ**as is where is basis**ò to the purpose of recycling/reprocessing of electronic waste following e-waste (Management & Handling) Rule-2011.

8. BIS Reserves the right to reject any or all the tenders if situation so arises with approval of Competent Authority of BIS.

9. The Bureau has no responsibility for delay, lost and non-receipt of quotation after dispatch.

10. In case of any dispute, the decision of the Director General of the Bureau shall be final.

Head (GSD)

Encl: As above

Annexure-I

Rates of Disposal of Printers, Scanner, Fax Machine, Photocopy Machines, Voltage Stablizer, UPS, Computers, Server, Electronic Typewiters, Laptops and Mobile Phones.

Sl. No.	Description	Quantity	Rate quoted by party for lot (Rs.)
1.	Printers	28	
2	Scanner	02	
3	Fax Machine	05	
4.	Machine Copier machine(Xerox/ Sharp make)	09	
5.	Voltage Stablizer	21	
6.	UPS	95	
7.	Computers	18	
8.	Server	03	
9.	Electronic Typewriters	02	
10.	Laptops	14	
11.	Mobile Phones	40	
		Total	

Note: H-1 (Highest rate quoted firm) will be decided on the basis of total amount quoted as a lot i.e. from item serial No.1 to 11.

Signature__________________________

Name & Address___________________

____

____

Telephone No.----------------------------------

Date_____________________________